कुस्टाराम बनाम गोकलाराम
2022/107
मैन्युअल मु.नं. 71/2022
निर्णय दिनांकः-28.03.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

आवेदन संख्याः-2022/107

दर्ज तिथिः-31.05.2022

1. कुस्टाराम पुत्र हरजीराम
2. मंगली पत्नी हरजीराम

जाति भील निवासी भीलों की ढाणी,चक नंबर 1, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. गोकलाराम पुत्र नानगाराम
   जाति माली निवासी भीलों की ढाणी,चक न.1 तहसील धोरीमन्ना
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना
3. अचलाराम पुत्र पोकराराम
4. केसाराम पुत्र गेनाराम
5. किस्तुराराम पुत्र मोडाराम
6. खेराजराम पुत्र दुर्गाराम
7. खींयाराम पुत्र शोभाराम
8. चुनाराम पुत्र दुर्गाराम
9. जैसाराम पुत्र गेनाराम
10. जीयां पत्नी गेनाराम
11. डालूराम पुत्र मोडाराम
12. दीपाराम पुत्र मोटाराम
13. पुराराम पुत्र गैनाराम
14. पूरोदेवी पत्नी गैनाराम
15. पांचाराम पुत्र गेनाराम
16. रावताराम पुत्र मोटाराम
17. लालाराम पुत्र दुर्गाराम

   जाति जाट निवासी रेलों की बेरी,उड़ासर ,धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना

18. शाखा प्रबन्धक,बैंक ऑफ बड़ौदा,शाखा धोरीमन्ना

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः- श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः-श्री रिड़मलराम (1,4,15,16)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

कुस्टाराम बनाम गोकलाराम
2022/107
मैन्युअल मु.नं. 71/2022
निर्णय दिनांकः–28.03.2025

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–कराजरथान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 544/2/2.7680 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1, पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। उक्त खसरा संख्या में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 544/2/2.7680 है0 में जाने हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 545/1/1.2950 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1, पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना से रास्ता प्रस्तावित कर चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फीट चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2,3,5 से 14,17 व 18 बावजूद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पत्रांक 246 दिनांक 03.02.2023 के संलग्न मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की जो कि शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय होकर प्रथम मौका रिपोर्ट पर लिखित आपति प्रस्तुत कर पुनःमौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। न्यायहित में अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 2974 दिनांक 29.11.2024 के संलग्न पुनः मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई जो शामिल मिशल की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। न्यायहित में विप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आपति मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा 2 बार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्रार्थीगण को अत्यान्तिक आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना [illegible] कार किये जाने का निवेदन किया

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण [illegible] तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *- (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is grantedor in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant ***preferably*** *having the same price and adjoining to his land.*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

68. Application under Sec. 251-A. *- An applica[illegible] grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form [illegible]*

69. Enquiry and disposal of application. *- [illegible] of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either [illegible] the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-*

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार हैः—

1. प्राथी की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यंतिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

कुस्टाराम बनाम गोकलाराम
2022 / 107
मैन्युअल मु.नं. 71 / 2022
निर्णय दिनांकः–28.03.2025

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544 / 2 / 2.7680 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1 पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग**रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 544 / 2 / 2.7680 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1 पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना में पहुँच के प्रयोजन के लिए रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 545 / 1 / 1.2950 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1, पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना में से होकर 8 मीटर चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर अवरोध यथा कच्चा ओरा,टांका व रांगे भरी होने से दूसरे विकल्प वाके ग्राम रेलों की बेरी,पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 546 / 3.6179 है0 में से दूसरा विकल्प प्रस्तावित कर भिजवाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 546 / 3.6179 है0 वाके ग्राम रेलों की बेरी,पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमना से होकर लघुत्तम मार्ग का विकल्प प्रस्तावित किया है। अतः तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित विकल्प में अवरोध होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 में [illegible] रास्ता का बरंग हरा रंग लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प वाके ग्राम रेलों की बेरी पटवार हल्का उड़ासर के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खसरा संख्या 546 के सेढे पर अवस्थित झोपे को छोड़कर बरंग हरा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित लघुतम मार्ग रास्ते का नक्शा निम्नानुसार है—

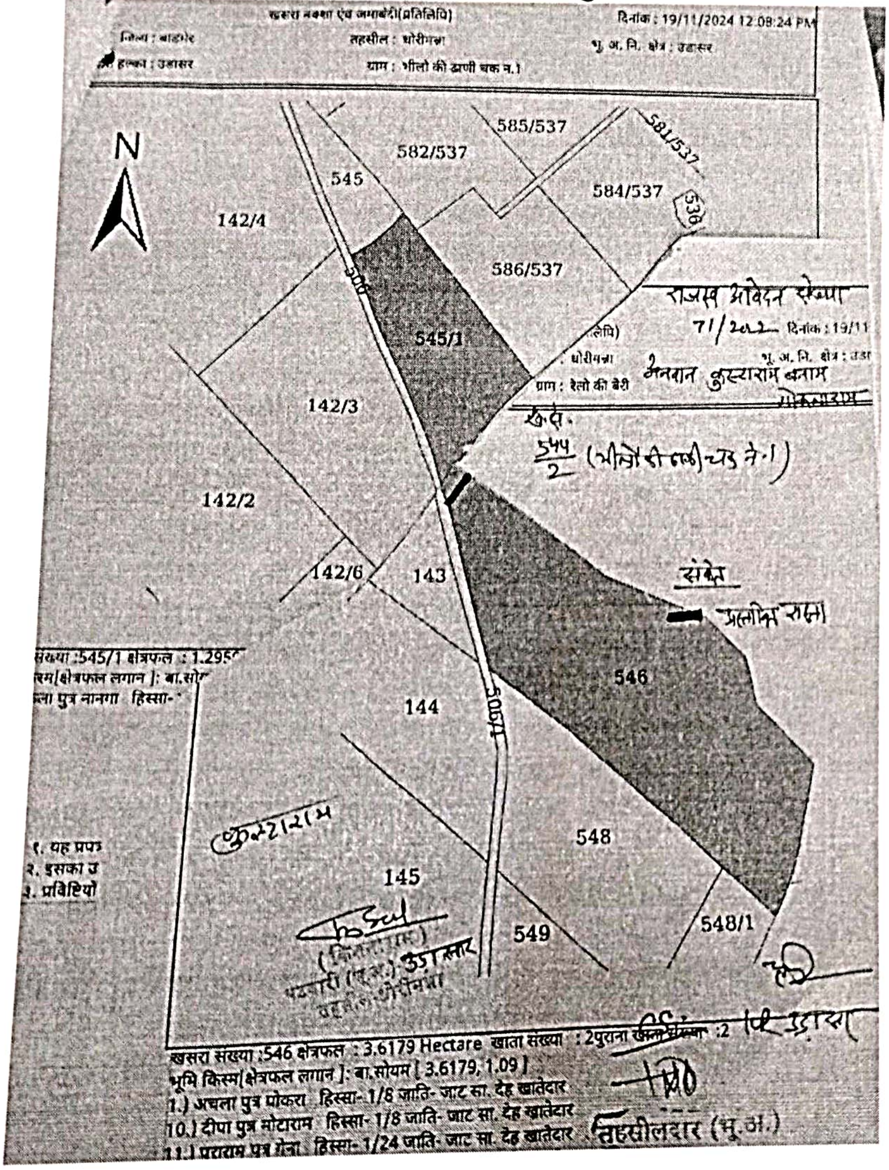

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार धोरीमन्ना की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ./2024/2974 दिनांक 29.11.2024 के संलग्न मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 के अनुसार प्रार्थी हाल खसरा संख्या 544/2/2.7680 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1 पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 546/3.6179 है0 वाके ग्राम रेलो की बेरी,पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमना की तरफ के सेढे—सेढ झौपें को छोड़ते हुए नवीन रास्ता प्रस्तावित बरंग हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

कुस्टाराम बनाम गोकलाराम
2022 / 107
मैन्युअल मु.नं. 71 / 2022
निर्णय दिनांकः–28.03.2025

रंग से अंकित लघुत्तम मार्ग बतौर 20 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौडा रकबा 0.016 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना की दिनांक 29.11.2024 के संलग्न प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 18.11. 2024 मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 18.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी हाल खसरा संख्या 544 / 2 / 2.7680 है0, वाके ग्राम भीलों की ढाणी,चक नंबर 1 पटवार हल्का उड़ासर,तहसील धोरीमन्ना तक अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 546 / 3.6179 है0 वाके ग्राम रेलों की बेरी,पटवार हल्का उड़ासर,,तहसील धोरीमन्ना में अंकित प्रस्ताव अनुसार उक्त खसरे के सेढे–सेढ अवस्थित झौपें को छोड़ते हुए बरंग हरा रंग से प्रदर्शित लम्बाई 20 मीटर एवं चौडाई 8 मीटर कुल रकबा 0.016 है0 के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। तहसीलदार धोरीमन्ना के दिनांक 18.11.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना
[illegible] बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:06 IST
Reason: SelfAttested